

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला भोपाल

(ईमेल आई.डी. - emhobho@nic.in)

क./नर्सिंग/इंटरनशिप/2022 / 11425
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/06/2022

प्राचार्य,
मानसरोवर डेंटल कॉलेज
जिला भोपाल।

विषय:- बी.डी.एस./एम.डी.एस. के छात्र छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/04/प्रशि./2018/27/भोपाल दिनांक 22.01.2018

---00---

उपरोक्त विषय में लेख है कि, आवेदक संस्था मानसरोवर डेंटल कॉलेज जिला-भोपाल को बी.डी.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार/गांधीनगर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिसरोद भोपाल में निम्न शर्तों के आधार पर वर्ष 2022-23 तक प्रशिक्षण हेतु अस्थाई अनुमति प्रदान की जाती है।

1. प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम हेतु चिकित्सा संस्था के प्रमुख की अनुमति एवं अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. छात्र/छात्राओं अपने निर्धारित गणवेश (यूनिफार्म) में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
3. रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी एवं संस्था को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क निम्न अनुसार जमा करना होगी।
03 माह की इंटरनशीप प्रशिक्षण - 5,000/- प्रति इन्टर्न
06 माह की इंटरनशीप प्रशिक्षण - 10,000/- प्रति इन्टर्न
01 वर्ष की इंटरनशीप प्रशिक्षण - 20,000/- प्रति इन्टर्न
4. किसी भी छात्र/छात्राओं द्वारा चिकित्सा संस्था में अथवा किसी मरीज को नुकसान पहुंचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति उस संस्था द्वारा वहन की जावेगी जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है।
5. यह अनुमति निर्धारित माह की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं को किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जावेगा।
6. प्रशिक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं को खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार/गांधीनगर, एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिसरोद भोपाल के निर्देशों तथा अनुशासन का पालन करना होगा।
7. आवश्यकतानुसार छात्र/छात्राओं को अन्य संस्थाओं में भी कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।
8. म.प्र. शासन द्वारा अपना प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की स्थिति में प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु दी गई अनुमति निरस्त की जा सकती है।
9. प्रायोगिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम की जानकारी अधीक्षक चिकित्सालय को पूर्व से लिखित रूप से अवगत कराया जाना होगा कि कब-कब, किरा-किस वार्ड में कितने छात्र जायेंगे। सी.एम.ओ. जो भी जानकारी इस संबंध में चाहेंगे तो उस संस्था को उपलब्ध कराना होगी।
10. किसी भी छात्र के द्वारा कदाचारण करने पर उसे शेष प्रशिक्षण से वंचित किया जा सकेगा।
11. इंटरनशिप/प्रशिक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं को विभाग में कार्य करने हेतु निर्देशित करने/फील्ड विजिट करना एवं उनके द्वारा किये गये कार्य की निगरानी एवं समीक्षा हेतु

12. निज विद्यालय के द्वारा भी उनकी संस्था से मैं किसी एक इन्सट्रक्टर को नोडल अधिकारी नामंकित किया जावें। जिससे की प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं के संबंध में संपर्क स्थापित किया जा सके।
13. इंटरनशिप/प्रशिक्षण पूर्ण होने पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी की अनुशांसा के आधार पर प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदान किया जावेगा।
14. प्रशिक्षण हेतु संबंधित प्रशिक्षणार्थी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार/गांधीनगर, एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिसरोद एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य त्रैस्तरीय अनुबंध 100 रु0 के स्टॉम्प पेपर पर करना होगा जिसका वहन छात्र/छात्राओं द्वारा किया जावेगा।

नोट :- छात्र/छात्राओं की फीस रोगी कल्याण समिति में जमा कर रसीद 15 दिवस के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। नहीं तो मान्यता स्वतः निरस्त हो जावेगी।

पृ. क्र./नर्सिंग/इंटरनशिप/2022
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित।

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
2. कलेक्टर जिला भोपाल।
3. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल।
4. उप संचालक, (प्रशिक्षण) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
5. मुख्य खण्ड चिकित्सा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार/गांधीनगर भोपाल।
6. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केंद्र मिसरोद।

11426
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भोपाल(म.प्र.)
भोपाल, दिनांक.....13/06/2022

4019
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भोपाल(म.प्र.)